



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092026-276504
CG-DL-E-25092026-276504

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4977]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948

No. 4977]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2026

का.आ. 5183(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, हरियाणा राज्य के करनाल जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् “दिल्ली—पानीपत—अंबाला (198 कि०मी०) के बीच तीसरी एवं चौथी लाइन परियोजना” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, करनाल को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिव्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के जिला करनाल में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, "दिल्ली-पानीपत-अंबाला (198 कि०मी०) के बीच तीसरी एवं चौथी लाइन परियोजना" का निर्माण करने के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का अवसंरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	अर्जन हेतु रकबा (हे० में)
1	करनाल	डिपो	328	0.5451
2			326	0.0136
3			325	0.3527
4			323	0.0855
5			320	0.0175
6			244	0.0684
7			245	0.0655
8			254	0.0115
9			243	0.0585
10			241	0.0923
11			240	0.0605
12			216	0.0624
13			215	0.0421
14			214	0.0333
15			213	0.1124
16			212/1	0.0301
17			212	0.0358
18			211	0.0644
19			203	0.0797
20			202	0.0902
21			193	0.0042
22			71	0.1839
23			70	0.1901
24			68	0.1481
25			66	0.0519
26			64	0.0971
27			63	0.0438
28			61	0.0049
29			58	0.0179
30			57	0.0200
31			ROAD_1	0.0009
32			48	0.0011
33			15	0.0019
34			13	0.0027
35			12	0.0113
36			11	0.0120
37			10	0.0245
38			ROAD_2	0.3688
कुल				3.1066

[फा. सं. 190-W/Land/TKJ/DLI-UMB]

शैलेश कुमार मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
[Northern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2026

S.O. 5183(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, “**Delhi-Panipat-Ambala (198 Km) Third & Fourth Line Project**” in the **district of Karnal** in the **State of Haryana**, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the **Competent Authority**, namely, **District Revenue Officer, Karnal** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, “**Delhi-Panipat-Ambala (198 Km) Third & Fourth Line Project**” in the district **Karnal** in the state of **Haryana**.

Sl. No.	Tehsil	Village name	Khasara No.	Acquisition Area (In Hect.)
1	KARNAL	DEPO	328	0.5451
2			326	0.0136
3			325	0.3527
4			323	0.0855
5			320	0.0175
6			244	0.0684
7			245	0.0655
8			254	0.0115
9			243	0.0585
10			241	0.0923
11			240	0.0605
12			216	0.0624
13			215	0.0421
14			214	0.0333
15			213	0.1124
16			212/1	0.0301
17			212	0.0358
18			211	0.0644
19			203	0.0797
20			202	0.0902
21			193	0.0042
22			71	0.1839
23			70	0.1901
24			68	0.1481
25			66	0.0519
26			64	0.0971
27			63	0.0438
28			61	0.0049
29			58	0.0179

30			57	0.0200
31			ROAD_1	0.0009
32			48	0.0011
33			15	0.0019
34			13	0.0027
35			12	0.0113
36			11	0.0120
37			10	0.0245
38			ROAD_2	0.3688
Total				3.1066

[F. No. 190-W/Land/TKJ/DLI-UMB]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Const.